

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 /53757- जयपुर, दिनांक: 6-4-18
54094

1. उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त राजस्थान।

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त राजस्थान

विषय:-दिनांक 09.04.2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में।

आयुक्त महोदया, समेकित बाल विकास सेवाएँ की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2018 को प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेण्डावार कार्यों की समीक्षा हेतु जिला मुख्यालय स्थित DOIT के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


साथ ही समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को परियोजना में पदस्थापित पंचायत समिति स्थित जन-सुनवाई केन्द्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित हों।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एजेण्डा बिन्दु निम्नानुसार है:-

समय	संभागी जिले	एजेण्डा बिन्दु
प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे तक	समस्त 33 जिलों के उप निदेशक एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी	<ul style="list-style-type: none">पोषण अभियान (NNM)प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY)किशोरी बालिका योजनाDBT योजना-आधार एनरोलमेन्ट और आधार सीडिंग (लाभान्वित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं किशोरी बालिकायें)स्वच्छता कार्य-योजना (Toilet & sanitation)आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माणआदर्श आंगनबाड़ी योजनाराजपोषणमानदेय कर्मियों के भुगतान की स्थितिमानदेय कर्मियों के चयन की स्थितिसंस्थापन प्रकरण

अतः समस्त उप निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को एजेण्डावार सूचना के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


for


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013/54095-54107 जयपुर,दिनांक 6-4-18
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. निदेशालय स्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण उक्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।